

अपील सूचना का अधिकार संख्या 129/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री
भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बचाम निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर



19-01-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को उसके जयके कर आवाज
लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित
नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल
ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2015 के
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:-

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर के पत्रांक
473 दिनांक 15.06.2015 जो कि प्रार्थी को दिनांक 20.06.2015 को
प्राप्त हुआ है में वर्णित कथनों के संबंध में सूचनाएं

1- तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर श्री प्रहलादराय मीणा
एवं करतारसिंह पूनिया एवं सचिव मलकीयत सिंह सैनी जांच अधिकारी
द्वारा लोक सभा चुनाव 2014 में बी.एल.ओ. श्री सुभाषचन्द्र गोयल द्वारा
मतदाता पर्ची, प्रार्थी के परिवार को वितरित न करने पर निर्वाचक रजि.
पदाधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश की
जान बूझकर अवहेलना करने पर दण्डित करने बाबत, जो पत्र आज
तक लिखे गये उसकी सूचना व जबाब जो नगरपरिषद द्वारा दिया गया
उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि

2- श्री प्रहलादराय जी मीणा तत्कालीन आयुक्त नगरपरिषद
श्रीगंगानगर द्वारा जो कार्यवाही सुभाष गोयल बी.एल.ओ. एवं श्री
मलकीयतसिंह सैनी के विरुद्ध मतदाता पर्ची वितरित न करने एवं जांच
न करने पर जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना

3- श्री प्रहलादराय मीणा जी तत्कालीन आयुक्त नगरपरिषद
श्रीगंगानगर के कार्यकाल की सूचना।

3ए- श्री प्रहलादराय जी मीणा तत्कालीन आयुक्त नगरपरिषद
श्रीगंगानगर द्वारा श्री सुभाष गोयल बी.एल.ओ. एवं श्री मलकीयतसिंह
सैनी के विरुद्ध आदेश की पालना न करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही
जिस विभागीय नियम के अन्तर्गत नहीं की उसकी सूचना व नियम की
प्रतिलिपि

4- श्री करतारसिंह जी पूनियां तत्कालीन आयुक्त नगरपरिषद के
कार्यकाल की, श्रीगंगानगर में रहने की अवधि की सूचना।

5- श्री करतारसिंह जी पूनियां द्वारा अपने कार्यकाल में लोक सभा
चुनाव 2014 में मतदाता पर्ची श्री सुभाष गोयल बी.एल.ओ. द्वारा वितरित
न करने पर उसके विरुद्ध लिखे गये पत्र की सूचना व प्रमाणित
प्रतिलिपि

6- मतदाता पर्ची वितरित न करने के आधार पर उसके विरुद्ध
विभागीय नियमों के अन्तर्गत आदेश की अवहेलना करने पर कार्यवाही
जिस नियम के अन्तर्गत नहीं की गयी उसकी सूचना एवं प्रमाणित
प्रतिलिपि

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

129
15
A3
2

7-श्री करतारसिंह जी पूनियां द्वारा श्री मलकीयत सिंह सचिव, नगर परिषद जांच अधिकारी, श्रीगंगानगर को जांच विधि सम्मत न करने पर, उनको लिखे गये पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि व जो जबाब श्री मलकीयत सिंह जी द्वारा दिया गया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि

8- श्री करतारसिंह जी द्वारा श्री मलकीयतसिंह जी सैनी को लिखे गये पत्र का जबाब न देना उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना है व जांच पूर्ण न करना है इस बाबत सूचना व दण्ड के भागी है इस बाबत सूचना।

9- आप द्वारा लिखित पत्रों पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त 9 बिन्दुओं की सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरुद्ध 25000रूपये हर्जाना लगाया जावे व उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1754 दिनांक 17.09.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1333 दिनांक 23.07.2015 के द्वारा पंजिकृत डाक द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गयी थी अतः अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 1333 दिनांक 23.07.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:-

आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 की सूचना के संबंध में जहां तक चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञापित, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः बिन्दु संख्या 1 से 10 के संबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते हैं।


जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

129
15
P3
3

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 23.07.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावनाओं को देखते हुए न्याय हित में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तुरंत तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर